न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

परिवाद पत्र संख्या :-224/2018

आदेश

01.02.2019 परिवादिनी की हाजरी दी गई है । अभिलेख आदेश हेतु निश्चित है । अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया ।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि परिवादिनी कान्ति कुमारी के द्वारा अभियुक्तगण अबधेश सिंह एवं मधेश्वर सिंह के विरूद्ध परिवाद पत्र दाखिल किया है । परिवादिनी द्वारा दाखिल परिवाद पत्र, परिवादिनी का सशपथ बयान एवं परिवादिनी के द्वारा प्रस्तुत कराये गये जाँच साक्षियों के साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

परिवाद पत्र एवं उपरोक्त जाँच साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर परिवाद पत्र के नामांकित अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 420 एवं 406/34 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है ।

परिवादिनी को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्तों के विरूद्ध समन निर्गत करने हेतु आवश्यक अपेक्षिकाएँ एक सप्ताह के अंदर दाखिल करे । तत्पश्चात् कार्यालय उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध समन निर्गत करे । दिनांकः-25-04-2019 वास्ते अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।